न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारेठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 98/2019

अनवान :

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. दौलतराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनलाल पुत्र दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. विश्वनाथ पुत्र दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मोहनीदेवी पुत्री दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राजबाला पुत्री दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शांखा भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री श्यामसुन्दर शर्मा : वादी

निर्णय दिनांक : 26-02-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 108/109 के खसरा सं0 225 की 11.8240 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74, ग्राम रासलाना के खाता सं0 123/104 के खसरा सं0 298/1 की 5.5900 है0 बारानी जमावन्दी सम्वत् 2075 से 78, ग्राम जाटान के खाता सं0 59/55 के खसरा सं0 378 की 5.6460 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 दौलतराम को अपने पिता रामचन्द्र से विरासतन प्राप्त हुई जो महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 दौलतराम के साथ जन्म से हक व हिस्सा बराबर निहित है। आज तीन वर्ष पूर्व घरेलु मौखिक बटवारा में प्रतिवादी ... ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 जो उसके पिता व ... है ... के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया और कब्जा भूमि मौके पर सौंप दिया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:15 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने मुकबिलेदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को वकील वादी ने तर्क किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में वादी सुरेश कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मलसीसर खाता सं0 108/109 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1 व 2, सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जटान खाता सं0 59/55 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 6, सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम रासलाना खाता सं0 123/104 सम्वत् 2075 से 78 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमाबन्दी ग्राम रासलाना सम्वत् 2055 प्रदर्श 5, फोटो प्रतिलिपि खतौनी जमाबन्दी ग्राम मलसीसर सम्वत् 55 प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमाबन्दी ग्राम जटान सम्वत् 2053 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये व वारिस प्रमाण पत्र दौलतराम का पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के साथ जन्म से हक व हिस्सा बराबर निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम रासलाना, जटान व मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमाबन्दी ग्राम रासलाना सम्वत् 2055 प्रदर्श 5, फोटो प्रतिलिपि खतौनी जमाबन्दी ग्राम मलसीसर सम्वत् 55 प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमाबन्दी ग्राम जटान सम्वत् 2053 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये है जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा रामचन्द पि0मु0 छोगाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र में दौलतराम के वारिसान में तीन पुत्र मोहनलाल, सुरेश कुमार व विश्वानाथ एवं दो पुत्रियां मोहनीदेवी व राजबाला होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 108/109 के खसरा सं0 225 की 11.8240 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74, ग्राम रासलाना के खाता सं0 123/104 के खसरा सं0 298/1 की 5.5900 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78, ग्राम जाटान के खाता सं0 59/55 के खसरा सं0 378 की 5.6460 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारेठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 98/2019

अनवान :

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. दौलतराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनलाल पुत्र दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. विश्वनाथ पुत्र दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मोहनीदेवी पुत्री दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राजबाला पुत्री दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रवन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्यामसुन्दर शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 108/109 के खसरा सं0 225 की 11.8240 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74, ग्राम रासलाना के खाता सं0 123/104 के खसरा सं0 298/1 की 5.5900 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78, ग्राम जाटान के खाता सं0 59/55 के खसरा सं0 378 की 5.6460 है0 बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-2-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:15 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner